सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 3 मई, 1975

वैशाख 13, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1666/सत्रह–वि-1––26-75

लखनऊ, 3 मई, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन् राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1975 पर दिनांक 2 मई, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा-संशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

अध्याय

प्रारम्भिक

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1975 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (3) में शब्द 'राज्य सरकार' के पश्चात् शब्द 'समय-समय पर' बढ़ा दिये जायें।

धारा 12 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (9) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध [अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाय तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।"

धारा 21 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय" के पश्चात् शब्द "अथवा राज्य सरकार के [किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय" बढ़ा दिये जायें।

धारा 28 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (4) में, शब्द "प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (5) में, शब्द "इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में और शिक्षा में उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)" रख दिये जाएं।

धारा 33 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 33 में, शब्द "जो विहित की जायें" के स्थान पर शब्द "जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें" रख दिये जायें।

धारा 37 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (2) का परन्तुक निकाल दिया जाय।

धारा 51 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (2) के खण्ड (झ) में शब्द "वैतनिक अधिकारियों" के स्थान पर शब्द "वैतनिक कर्मचारियों" रख दिये जायें।

नये अध्याय 11-क का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम के अध्याय 11 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

परिभाषाएं

60-क--इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(1) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है) ;

(2) 'उप निदेशक' से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(3) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है---

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो ; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो ;

(4) 'पोषण अनुदान' से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिये समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिये निदेश दें ;

(5) 'वेतन' का वही अर्थ होगा जो धारा 56 के खण्ड (ख) में उसक लिये दिया गया है ;

(6) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसके नियोजन के संबंध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो---

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित किसी पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो ।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

60-ख--(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुये भी, 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिये या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायगा ।

(2) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायगा ।

निरीक्षण करने की शक्ति

60-ग--(1) उप निदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बहियां तथा वाउचर भी हैं) मांग सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिये उसके प्रबन्धतंत्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छंटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिषेध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन छंटनी के लिये प्रत्येक निदेश, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायगा और उसमें ऐसा भावी दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब से ऐसी छंटनी प्रवृत्त होगी ।

(3) जहां उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार छटनी के लिये कोई निदेश जारी किया जाय; वहां सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी, इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायगा ।

कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया

60–घ––(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिये, किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में, एक पृथक लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदाय लेखा' कहा गया है) खोलेगा, जिसे प्रबन्धतंत्र के एक प्रतिनिधि और उप निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उप निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चलाया जायगा :

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात्, यदि उप निदेशक का, धारा 60–ज के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबंधतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखंडित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट दशा में, अथवा जहां किसी अन्य दशा में प्रबन्धतंत्र को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उप निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा केवल उप निदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखंडित कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूपमें प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग, और महाविद्यालय की या उसके लाभार्थ पूर्णतः या अंशतः धर्मार्थवृति किसी जंगम, या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करे, और तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा ।

(3) जहां, उप निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतंत्र ने उपधारा (2) अथवा तद्धीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहां उप निदेशक, आदेश द्वारा, प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त, उप निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षतः (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा ।

(4) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो, उपधारा (2) तथा (3) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिये आवश्यक हो ।

(5) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा, अर्थात् :––

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के लिए महाविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिए;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए ।

(6) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, वेतन संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो तब चेक द्वारा संदत्त किया जायगा ।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

60–ङ––(1) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के सम्बन्ध में देय होने वाले वेतन का संदाय करने के लिए देनदार होगी ।

(2) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो ।

(3) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हो, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है ।

दण्ड शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

60-च--(1) यदि धारा 60-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा 60-ख या धारा 60-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा 60-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारन्ट के बिना गिरफ्तार करेगा ।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

आदेश का अंतिम होना

60-छ--इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

नियम बनाने की शक्ति

60-ज--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

धारा 68 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 68 में, शब्द "विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है)" रख दिये जायें ।

धारा 69 का प्रतिस्थापन

11--मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्--

"69--राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उप निदेशक (जैसा धारा 60-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी ।"

धारा 72 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 72 में--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्--

"(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा ।"

(ख) उपधारा (2) में, उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"परन्तु ऐसा कोई निदेश 31 दिसम्बर, 1976 के पश्चात् नहीं दिया जायगा।"

धारा 74 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 74 में—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

"(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, जारी किये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण-पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी किये गये, प्रदत्त, मंजूर किये गये या की गई समझी जायगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत न कर दिये जायें प्रवृत्त बनी रहेंगी;

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, प्रबन्धतंत्र या कार्य परिषद् द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां, जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जायेंगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम से जारी रखी जायेगी जहां वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं।";

(ii) उपधारा (3) में,—

(1) खण्ड (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि उक्त उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 तथा 2 के उपबन्ध इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे;";

(2) खण्ड (छ) में, उपखण्ड (3) में, शब्द तथा अंक "वर्ष 1975 में" के पश्चात् शब्द तथा अंक "अथवा वर्ष 1976 में" बढ़ा दिये जायें।

अनुसूची का संशोधन

14—मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रम-संख्या 5 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"5—कानपुर विश्वविद्यालय

(1) बुन्देलखण्ड तथा अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
(2) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर, किन्तु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पूर्व।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले।
(3) अवध विश्वविद्यालय की तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो जाने पर।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972 की धारा 2 का संशोधन

15--उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (घ) में शब्द "बेसिक शिक्षा निदेशक" के स्थान पर शब्द "शिक्षा निदेशक" रख दिये जायें।

धारा 3 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:--

"(च-1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, पदेन;

(च-2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन; "।

धारा 4 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,

(1) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(ग) जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा संशिक्षण प्रदान करने और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करने के सम्बन्ध में उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना ;";

(2) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या तथा सुधार और उसमें अनुसन्धान के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर बेसिक शिक्षा समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का (परिष्कार सहित या रहित) अनुमोदन करना ;";

(3) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:--

"(छ-1) जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों पर, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन में, अधीक्षण रखना और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समितियों को निदेश देना, जो ऐसी समितियों पर बन्धनकारी होंगे;

(छ-2) ऐसे प्रयोजनों के लिये जिसे परिषद् उचित समझे (जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के सदस्यों में से) उप-समितियों का गठन करना।"।

धारा 6 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) निकाल दी जाय।

धारा 10 का प्रतिस्थापन तथा नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना

19--मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जाय, अर्थात्:--

"10--(1) प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) अध्यक्ष, जिला परिषद्, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन), पदेन;

(घ) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, पदेन;

(ङ) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन;

(च) अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), यदि कोई हो, और उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षिका, पदेन;

(छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन; जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ;

(ज) विद्यालय उपनिरीक्षक,पदेन जो समिति का सहायक सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद् के अधीक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:—

(i) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना ;

(ii) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना;

(iii) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

नगर बेसिक शिक्षा समितियां

19-क—(1) प्रत्येक नगर, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो नगर बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) महापालिका का नगर प्रमुख, यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी, का प्रेसीडेन्ट, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन से अनधिक व्यक्ति जो, यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन;

(घ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन;

(ङ) सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उपनिरीक्षक, पदेन ;

(च) सर्किल की अधिकारितायुक्त बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका, पदेन;

(छ) अधीक्षिका, बालिका शिक्षा, यदि कोई हो, पदेन;

(ज) शिक्षा अधीक्षक, यदि कोई हो, और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उप निरीक्षक, पदेन, सदस्य-सचिव।

(2) धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, नगर बेसिक शिक्षा समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक शिक्षा समिति को लागू होते हैं।"

धारा 11 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) के खण्ड (क) में, शब्द "यथास्थिति जिला परिषद् अथवा अन्तरिम जिला परिषद्" के स्थान पर शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति" रख दिये जायें।

नई धारा 12-क का बढ़ाया जाना

21—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"12-क—(1) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे जिला परिषद् के अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी।

(2) यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के प्रत्येक सदस्य को उस स्थानीय निकाय, जिसका वह सदस्य हो, की सीमा में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे स्थानीय निकाय के, यथास्थिति, नगर प्रमुख अथवा प्रेसीडेन्ट को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी।"

धारा 19 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में, शब्द "किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों" के स्थान पर शब्द "परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों" रख दिये जायें।

No. 1666 (2) /XVII-V-1—26-75

Dated Lucknow, May 3, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Vidhi Sanshodhan Adhiniyam, 1975, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 2, 1975 :

THE UTTAR PRADESH EDUCATION LAWS AMENDMENT ACT, 1975

(Uttar Pradesh Act no. 21 of 1975)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

An

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities* (*Re-enactment and Amendment*) *Act*, 1974, *and the Uttar Pradesh Basic Education Act*, 1972.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

PRELIMINARY

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Education Laws Amendment Act, 1975.

Chapter II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973, AS AMENDED AND RE-ENACTED BY THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES (RE-ENACTMENT AND AMENDMENT) ACT, 1974.

Amendment of section 1 of President's Act no. 10 of 1973, as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (3), *after* the words "the State Government may", the words "from time to time", shall be *inserted*.

Amendment of section 12.

3. In section 12 of the principal Act, in sub-section (9), the following proviso thereto shall be *inserted* and be deemed always to have been inserted, namely :—

"Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or associated college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution of the University shall be limited to what it had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor."

Amendment of section 21.

4. In section 21 of the principal Act, in sub-section (3), *after* the words "with the prior approval of the State Government", the words "or except in accordance with any general or special order of the State Government" shall be *inserted*.

Amendment of section 28.

5. In section 28 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (4), *after* the words "methods of admissions", the words and brackets "(including the number of students to be admitted)" shall be *inserted* ;

(*b*) in sub-section (5), *after* the words "engineering colleges", the words and brackets "and to courses of instruction for degrees in education (including the number of students to be admitted)" shall be *inserted*.

Amendment of section 33.

6. In section 33 of the principal Act, *for* the words "as may be prescribed", the words as may be specified by general or special order by the State Government" shall be *substituted*.

Amendment of section 37.

7. In section 37 of the principal Act, in sub-section (2), the proviso thereto shall be *omitted*.

Amendment of section 51.

8. In section 51 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (i), *for* the words "salaried officers", the words "salaried employees" shall be *substituted*.

Insertion of new Chapter XI-A.

9. *After* Chapter XI of the principal Act, the following Chapter shall be *inserted*, namely:—

'CHAPTER XI-A

PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGES

Definitions.

60-A. In this Chapter, unless the context otherwise requires—

(i) 'College' means any college affiliated to or recognized by any University in accordance with the provisions of this Act or the Statutes made thereunder and for the time being receiving maintenance grant from the State Government (but does not include a college maintained exclusively by the State Government or a local authority);

(ii) 'Deputy Director' means the Regional Deputy Director of Education and includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Deputy Director under this Chapter;

(iii) 'employee', in relation to a college, means a non-teaching employee of such college—

(*a*) in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75 ; or

(*b*) who was appointed to a post with the permission of the Director of Education (Higher Education) ;

(iv) 'maintenance grant' means such grant-in-aid of a college as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of that college ;

(v) 'salary' shall have the meaning assigned to it in clause (*b*) of section 56 ;

(vi) 'teacher', in relation to a college, means a teacher in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75, or who is employed with the approval of the Vice-Chancellor of the University concerned—

(*a*) to a post created, before April 1, 1975, with the permission of the Vice-Chancellor concerned ; or

(*b*) to a post created, after March 31, 1975, with the permission of the Director of Education (Higher Education).

Payment of salary within time and without unauthorised deductions.

60-B. (1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of any college in respect of any period after the 31st day of March, 1975, shall be paid to him before the expiry of the 20th day or such earlier day as the State Government may, by general or special order in that behalf, appoint, of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable.

(2) The salary shall be paid without deductions of any kind except those authorised by this Act, the Statutes or the Ordinances, or by any other law for the time being in force.

Power to inspect.

60-C. (1) The Deputy Director may at any time, for the purposes of this Chapter, inspect or cause to be inspected any college or call for such information and records (including registers, books of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Every direction for retrenchment under sub-section (1) shall be issued after obtaining the prior approval of the Director of Education (Higher Education) and shall specify a future date on which such retrenchment shall become operative.

93

(3) Where any direction for retrenchment is issued in accordance with sub-sections (1) and (2), the teacher or the employee concerned shall, with effect from the date specified in such direction, cease to be a teacher or employee of the college for the purposes of the maintenance grant payable under this Chapter.

Procedure for payment of salary in case of certain colleges.

60-D. (1) The management of every college shall, for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employees open in a scheduled bank or a co-operative bank or post office, a separate account (hereinafter in this Chapter called "Salary Payment Account") to be operated jointly by a representative of the management and by the Deputy Director or such other officer as may be authorised by the Deputy Director in that behalf :

Provided that after the Salary Payment Account is opened, the Deputy Director may, if he is, subject to any rules made under section 60-H, satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank that the account shall be operated by the representative of the management alone, and may at any time revoke such instruction:

Provided further that in the case referred to in sub-section (3), or where in any other case after giving to the Management an opportunity of showing cause, the Deputy Director is of opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the Salary Payment Account shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf, and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, require by general or special order that the Management of a college shall deposit in the Salary Payment Account, such portion of the amount received, from students as fees and also such portion, if any, of the income received from any property, movable or immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the College, and by such date, as may be specified in that order, and thereupon, the Management shall be bound to comply with such direction.

(3) Where the Deputy Director is of opinion that the Management has failed to deposit the fees in accordance with the provision of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Deputy Director may, by order, prohibit the Management from realising any fees from the students and thereupon, the Deputy Director may realise the fees (either through the teachers of the college or in such other manner as he thinks fit) directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the Salary Payment Account.

(4) The State Government shall also pay into the Salary Payment Account such amount as maintenance grant, which, after taking into consideration the amounts deposited under sub-sections (2) and (3), is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).

(5) No money credited to the Salary Payment Account shall be applied for any purpose except the following, namely:—

(*a*) for payment of salary to the teachers and other employees of the college falling due for any period after March 31, 1975 ;

(*b*) for crediting the Management's contribution, if any, to the provident fund accounts of teachers and employees of the college concerned.

(6) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amount from the Salary Payment Account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

Liability in respect of salary.

60-E. (1) The State Government shall be liable for payment of salaries of teachers and employees of every college due in respect of any period after March 31, 1975.

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the college as if that amount were an arrear of land revenue due from such college.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the college for any such dues to the teacher or employee.

Punishment, penalties and procedure.

60-F. (1) If any default is committed in complying with any direction under section 60-C, or with the provisions of section 60-B or section 60-D, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the college shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be

punishable, in the case of a default in complying with the provisions of section 60-B with fine which may extend to one thousand rupees, and in the case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Deputy Director.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

Finality of orders.

60-G. No order made or direction given by the State Government, the Director of Education (Higher Education), the Deputy Director or other officer in exercise of any power conferred by or under this Chapter shall be called in question in any court.

Rule making power.

60-H. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.

(2) All rules made under this Chapter shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the official *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

Amendment of section 68.

10. In section 68 of the principal Act, *after* the words "any decision of any authority or officer of the University", the words and brackets "(including any question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor)" shall be *inserted*.

Substitution of section 69.

11. *For* section 69 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"69. No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director of Education (Higher Education) or the Deputy Director (as defined in section 60-A) or the Authorised Controller or the University or any Officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or the rules or the Statutes or the Ordinances made thereunder."

Amendment of section 72.

12. In section 72 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(1) Every authority of an existing University shall, as soon as may be after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act, and every person holding office as a member of such authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, cease to be such member.";

(*b*) in sub-section (2), *for* the proviso thereto, the following proviso shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"Provided that no such direction shall be issued after December 31, 1976."

Amendment of Section 74.

13. In section 74 of the principal Act—

(i) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(2) Notwithstanding such repeal—

(*a*) all appointments made, orders issued, degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under any such enactment, shall

be deemed to have been respectively made, issued conferred, granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act ;

(*b*) all proceedings of Selection Committees which took place before the commencement of this Act and all action by the Management or by the Executive Council, as the case may be, in respect of the recommendations of such Selection Committees, where no orders of appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act, shall, notwithstanding that the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid, but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement." ;

(ii) in sub-section (3)—

(1) in clause (*d*), the following proviso thereto shall be *inserted*, and be deemed always to have been inserted, namely :—

"Provided that the provisions of Explanations I and II to the said sub-section (5) shall apply also to the panels of experts referred to in this clause and to nominations made from such panels under this clause ;" ;

(2) in clause (*g*), in sub-clause (3), *after* the words and figures "in the year 1975", the words and figures "or in the year 1976" shall be *inserted*.

Amendment of the Schedule.

14. In the Schedule to the principal Act, *for* the entries at serial number 5, the following entries shall be *substituted*, namely :—

"5. The University of Kanpur—

(i) Until the establishment of the Universities of Bundelkhand and Avadh.	Districts of Allahabad, Banda, Bara Banki, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
(ii) Upon the establishment of the University of Avadh, but until the establishment of the University of Bundelkhand.	Districts of Allahabad, Banda, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
(iii) Upon the establishment of the University of Avadh and also the University of Bundelkhand.	Districts of Allahabad, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow."

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972

Amendment of section 2 of U.P. Act 34 of 1972.

15. In section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in clause (*d*), *for* the words "Director of Basic Education", the words "Director of Education" shall be *substituted*.

Amendment of section 3.

16. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3), *after* clause (*f*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*f*-1) the Secretary, Board of High School and Intermediate Education, Allahabad, *ex officio* ;

(*f*-2) the President of the Uttar Pradesh Prathmik Shikshak Sangh, *ex officio*;"

Amendment of section 4.

17. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2)—

(i) *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) to lay down, by general or special orders in that behalf, norms relating to the establishment of institutions by the Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis in respect of the administration of institutions, for imparting instruction and preparing candidates for admission to examinations conducted by the Board " ;

(ii) *for* clause (*e*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*e*) to accord approval (with or without modification) to the schemes prepared by the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti for the development, expansion and improvement of and research in basic education in any district or in the State or in any part thereof;";

(iii) *after* clause (*g*), the following clauses shall be *inserted*, namely:—

"(*g*-1) to have superintendence over the Zila Basic Shiksha Samitis and the Nagar Basic Shiksha Samitis in the performance of their functions under this Act, and subject to the control of the State Government, to issue directions to the Samitis which shall be binding on such Samitis ;

(*g*-2) to constitute sub-committees (from amongst the members of the Zila Basic Shiksha Samitis and Nagar Basic Shiksha Samitis) for such purposes as the Board thinks fit.".

Amendment of section 6.

18. In section 6 of the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted*.

Substitution of section 10 and insertion of new section 10-A.

19. *For* section 10 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely:—

"10. (1) For the rural area in each district, there shall be established a Committee to be known as the Zila Basic Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely—

(*a*) the Adhyaksha Zila Parishad, *ex officio*, who shall be the Chairman of the Committee ;

(*b*) three persons to be nominated by the State Government from amongst the members of the Zila Parishad;

(*c*) the Additional District Magistrate (Planning), *ex officio* ;

(*d*) the District Harijan and Social Welfare Officer, *ex officio*;

(*e*) the District Inspector of Schools, *ex officio* ;

(*f*) the Additional Basic Shiksha Adhikari (Mahila), if any, and in her absence, the Deputy Inspectress of Schools, *ex officio* ;

(*g*) the Zila Basic Shiksha Adhikari, *ex officio*, who shall be the member-secretary of the Committee;

(*h*) the Deputy Inspector of Schools, *ex officio*, who shall be the Assistant Secretary of the Committee.

(2) The members of the Committee, other than *ex officio* members, shall hold office on such terms and conditions as the State Government may, by general or special order, direct.

(3) The Zila Basic Shiksha Samitis shall, subject to superintendence and directions of the Board, perform the following functions, namely:—

(i) to administer the basic school situate within the rural areas of the district ;

(ii) to establish new basic schools ;

(iii) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools.

Nagar Basic Shiksha Samitis.

10-A. (1) For each city, municipality, notified area or town area, there shall be established a Committee to be known as Nagar Basic Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Nagar Pramukh of the Mahapalika, the President of the Municipal Board, the Notified Area Committee or the Town Area Committee, as the case may be, *ex officio*, who shall be the Chairman;

(*b*) not more than three persons to be nominated by the State Government from amongst the members of the Mahapalika, Municipal Board, the Notified Area Committee or the Town Area Committee, as the case may be;

(*c*) the District Inspector of Schools, *ex officio;*

(*d*) the Zila Basic Shiksha Adhikari, *ex officio*;

(*e*) the Circle Sub-Deputy Inspector of Schools, having jurisdiction, *ex officio*;

(*f*) the Circle Assistant Inspectress of Girls' Schools having jurisdiction, *ex officio* ;

(*g*) the Superintendent of Girls Education, if any, *ex officio* ;

(*h*) the Education Superintendent, if any, *ex officio*, member-secretary; and if there is no such officer, Circle Sub-Deputy Inspector of Schools having jurisdiction.

(2) The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 10 shall *mutatis mutandis* apply to a Nagar Basic Shiksha Samiti as they apply to a Zila Basic Shiksha Samiti."

Amendment of section 11.

20. In section 11 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*a*), *for* the words "Zila Parishad or Antarim Zila Parishad, as the case may be", the words "Zila Basic Shiksha Samiti" shall be *substituted.*

Insertion of new section 12-A.

21. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"12-A. (1) Every member of a Zila Parishad, shall have power to inspect any basic school situate within the rural area of the district and to submit the inspection notes to the Adhyaksha of such Zila Parishad within two weeks from the date of such inspection.

(2) Every member of a Mahapalika, a Municipal Board, Notified Area Committee or Town Area Committee, as the case may be, shall have power to inspect any basic school situate within the limits of the local body of which he is a member, and to submit the inspection notes to the Nagar Pramukh or the President of such local body, as the case may be, within two weeks from the date of such inspection."

Amendment of section 19.

22. In section 19 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "basic schools belonging to any local body", the words "basic schools recognised by the Board" shall be *substituted.*

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 19 सा० (विध०)—1975--700 (मे०)